सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा सं . NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW-RU-IV

दिनांक: 04.08.2025

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला- रामगढ़,
डीसी ऑफिस , छत्तार्मांडु,
रामगढ़ – 525101, झारखण्ड
ई :मेल-dc-ramgarh@gov.in

अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सी. सी. एल.) ,
सी. सी. एल. मुख्यालय, दरभंगा हाउस,
कचहरी रोड, मोरहबादी,
रांची-834029, झारखंड
ई-मेल: cmd.ccl.cil@coalindia.in

विषय: भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा नही देने के संबंध में श्री रमेश करमाली, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया शेडयुल्ड कास्ट/शेडयुल्ड ट्राईब्स/बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल, ग्राम व पोस्ट-सांडी, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़, झारखंड का अभ्यावेदन।

महोदयमहोदया/,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की पोर्टरि 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

योगेंद्र पी. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:

श्री रमेश करमाली,
अध्यक्ष,
ऑल इण्डिया शेडयुल्ड कास्टशेडयुल्ड ट्राईब्स/
बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज/कोऑर्डिनेशन कौन्सिल-,
ग्राम व पोस्ट सांडी -, थाना रजरप्पा -,
जिला रामगढ़--829150, झारखंड

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW

श्री रमेश करमाली, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया शेडयुल्ड कास्ट/शेडयुल्ड ट्राईब्स / बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल के अभ्यावेदन के मामले में दिनांक 15.07.2025 को आयोग मुख्यालय में 02 :00 बजे आयोग के माननीय सदस्या (डॉ आशा लकड़ा) के समक्ष हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक : 15.07.2025 को 02:00 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

शिकायत दिनांक 14.03.2023 श्री रमेश करमाली से आयोग में प्राप्त हुई जिसमे उन्होंने बताया कि मौजा कोईहारा, थाना नं. 150, खाता नं. 33, कुल रकबा 0.51 एकड़ और खाता नं. 08, कुल रकबा 6.61 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सी.सी.एल. रजरप्पा परियोजना द्वारा 29.12.1962 को किया गया था, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 29.12.1962 और 24.04.1978 को रैयत सीताराम करमाली वल्द धुंधा करमाली एवं चेतलाल करमाली वल्द रामधन करमाली के खतियानों से कुल 42.10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसमें से 29.01 एकड़ भूमि का मुआवजा दिया गया और 14 व्यक्तियों को नौकरी प्रदान की गई, लेकिन 13.09 एकड़ भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग से अनुरोध किया है कि उनकी 13.09 एकड़ भूमि का मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में उपायुक्त रामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गयी जिसके सम्बन्ध में सम्बंधित प्राधिकारियों से प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पायें जाने पर प्रकरण में आयोग की माननीय सदस्या ने दिनांक 27.12.2024 को सिटिंग तय की व् तद्नुसार सम्बन्धित को समन जारी किए गए।

3. मामले में 27.12.2024 की सुनवाई के उपरांत, आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई थी:-

1) मामले में प्रार्थी ने आयोग के समक्ष उपायुक्त, रामगढ को अपनी भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त, रामगढ ने आयोग को बताया कि वे इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेकर प्रार्थी के विषय में आगे की कार्यवाही करें ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।
2) प्रार्थी को यह सलाह दी जाती है कि वह एक आवेदन उपायुक्त रामगढ के कार्यालय में देंगे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके
3) 30 दिवस में मामले में कार्यवाही कर उपायुक्त के माध्यम से रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए

आशा लकड़ा

4. अभ्यावेदक द्वारा पुनः अनुरोध किए जाने के उपरांत, उक्त मामले में दिनांक 15.07.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई। इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को आयोग द्वारा समन प्रेषित किया गया तथा अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना प्रदान की गई। निर्धारित तिथि को उपायुक्त, रामगढ़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे। साथ ही, महाप्रबंधक, सीसीएल तथा अन्य संबंधित पदाधिकारीगण एवं अभ्यावेदक भी उपस्थित रहे।

5. मामले में उपायुक्त, रामगढ़ ने बताया की मामले में दिनांक 27.12.2024 को सुनवाई में आयोग द्वारा प्रार्थी को कहा गया था की वे आवेदन उपायुक्त, रामगढ के कार्यालय में देंगे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके जोकि प्रार्थी ने अभी तक जमा नही करवाए है

➢ **मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-**

1) मामले की सुनवाई की बाद प्रार्थी को पुन यह कहा जाता है की वे सम्बन्धित आवेदन की प्रति उपायुक्त, रामगढ के कार्यालय में देंगे जिसके बाद उपायुक्त, रामगढ मामले का त्वरित निष्पादन कर सकेंगे
2) सभी तथ्यों की रिपोर्ट की प्रति आयोग को 30 दिवस में प्रेषित की जाए

आशा लकड़ा
01/08/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW -RU-IV

Sitting to be held on **15.07.2025 at 02.00 P.M** - भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा नही देने के संबंध में श्री रमेश करमाली, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया शेडयुल्ड कास्ट/शेडयुल्ड ट्राईब्स/बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल, ग्राम व पोस्ट-सांडी, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़, झारखंड का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o District Magistrate, Ramgarh, Jharkhand**		
1.	DC through VC		
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Chairman and Managing Director, CCL, Ranchi**		
1.	Navrit Kumar	G.M (HR/IR) CCL 8987785495	Navrit 15/07/2025
2.	Navnit Jha	Chief Manager (M) CCL, HQ, L&R	[signature] 15/07/25
3	Manish Kongari	Manager (HR)/L&R CCL HQ	Manish 15/07/25
IV	**Petitioners**		
1.	Ramesh Karmali.		
2.			